



2912  
0.17708

न्यायालय :- तहसीलदार,(न्यायिक)  
पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह  
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर  
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460507278  
वाद संख्या:- 7278/2026  
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम वीरेश  
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34  
" अंतिम आदेश "  
आदेश तिथि:- 30/04/2026

वाद सं०-

ग्राम-दोना

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया। बाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00967 की गाटा सं० खसरा सं० 2694 का कुल रकबा 0.076080 में से विकीत रकबा 0.0076हे०, खसरा सं० 2695 का कुल रकबा 0.1520हे० में से विकीत रकबा 0.0152 हे०, व खसरा सं० 2779 का कुल रकबा 0.0890हे० में से विकीत रकबा 0.0089 हे०, व खसरा सं० 2796 का कुल रकबा 0.0630 हे० में से विकीत रकबा 0.0063हे०, व खसरा सं० 2911 का कुल रकबा 0.5560हे० में से विकीत रकबा 0.0556हे०, व खसरा सं० 2912 का कुल रकबा 0.1770हे० में से विकीत रकबा 0.0177हे०, व खसरा सं० 3004 का कुल रकबा 0.3160हे० में से विकीत रकबा 0.0316हे०. व खाता सं० 00968 की खसरा सं० 2736 मि० का कुल रकबा 0.1260हे० में से विकीत रकबा 0.0126हे०, कुल रकबा 1.5550 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1555 हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री वीरेश पुत्र स्व० संत राम निवासी दोना विशेष्वर खेडा लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 07.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज (पी-2)  
पीठासीन अधिकारी का नाम:- जितेंद्र कुमार शर्मा  
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर  
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2026104618553  
वाद संख्या:- 18553/2026  
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम मानसी  
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34  
" अंतिम आदेश "  
आदेश तिथि:- 05/06/2026

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम- दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली के खाता संख्या 00967 की खसरा सं० 2694 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विकीत रकबा 0.0076हे०, खसरा सं० 2695 का कुल रकबा 0.1520हे० में से विकीत रकबा 0.0152हे०, खसरा सं० 2736 मि० का कुल रकबा 0.1260 हे० में से विकीत रकबा 0. 01260, खसरा सं० 2779 का कुल रकबा 0.0890हे० में से विकीत रकबा 0.0089हे०, खसरा सं० 2796 का कुल रकबा 0.0630 हे० में से विकीत रकबा 0.0063हे०, खसरा सं० 2911 का कुल रकबा 0. 5560हे० में से विकीत रकबा 0:0556हे०, खसरा सं० 2912 का कुल रकबा 0.1770 हे० में से विकीत रकबा 0.0177हे०, खसरा सं० 3004 का कुल रकबा 0.3160हे० में से विकीत रकबा 0.03160, कुल रकबा 1.5550 हे० में से विकीत रकबा 0.1555 हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग। मा०गु० 60ख से विक्रेता:- कु० मानसी पुत्री संत राम निवासी दोना विशेषर खेडा लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनात्रन्तगत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ नाम जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2026 सं०भू० अंकित हो। बाद अमलदरानंद पत्रावली दाखिल दप्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार,(न्यायिक)  
पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह  
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर  
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460507280  
वाद संख्या:- 7280/2026  
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम राम प्रवेश  
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34  
" अंतिम आदेश "  
आदेश तिथि:- 30/04/2026

वाद सं०-  
ग्राम-दोना  
निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया। वाद मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने मे कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00967 की गाटा सं० खसरा सं० 2694 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विकीत रकबा 0.0076हे०, खसरा सं० 2695 का कुल रकबा 0.1520हे० में से विकीत रकबा 0.0152हे०, व खसरा सं० 2779 का कुल रकबा 0.0890हे० में से विकीत रकबा 0.0089 हे०, व खसरा सं० 2796 का कुल रकबा 0.0630 हे० में से विकीत रकबा 0.0063हे०, व खसरा सं० 2911 का कुल रकबा 0.5560हे० में से विकीत रकबा 0.0556हे०, व खसरा सं० 2912 का कुल रकबा 0.1770हे० में से विकीत रकबा 0.0177हे०, व खसरा सं० 3004 का कुल रकबा 0.3160हे० में से विकीत रकबा 0.0316हे०, व खाता सं० 00968 की खसरा सं० 2736 मि० का कुल रकबा 0.1260हे० में से विकीत रकबा 0.0126हे०, कुल रकबा 1.5550 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1555 हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता राम प्रवेश पुत्र संतराम निवासी दोना विशेष्वर खेडा लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 07.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

**Disclaimer :**

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी।



न्यायालय :- तहसीलदार,(न्यायिक)  
पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह  
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर  
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460507283  
वाद संख्या:- 7283/2026  
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम रीना  
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34  
" अंतिम आदेश "  
आदेश तिथि:- 30/04/2026

वाद सं०-

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया। बाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2000 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00967 की गाटा सं० खसरा सं० 2694 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विकीत रकबा 0.007680, खसरा सं० 2695 का कुल रकबा 0.1520हे० में से विकीत रकबा 0.015280, व खसरा सं० 2779 का कुल रकबा 0.0890हे० में से विकीत रकबा 0.0089 हे०, व खसरा सं० 2796 का कुल रकबा 0.0630 हे० में से विकीत रकबा 0.0063हे०, व खसरा सं० 2911 का कुल रकबा 0.5560हे० में से विकीत रकबा 0.0556हे०, व खसरा सं० 2912 का कुल रकबा 0.1770हे० में से विकीत रकबा 0.0177हे०, व खसरा सं० 3004 का कुल रकबा 0.3160हे० में से विकीत रकबा 0.0316हे०, व खाता सं० 00968 की खसरा सं० 2736 मि० का कुल रकबा 0.1260हे० में से विकीत रकबा 0.0126हे०, कुल रकबा 1.5550 हे० में से विक्रीत रकबा 0.1555 हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु०60ख से अंकित खातेदार विक्रेता कु० रीना पुत्री संत राम निवासी दोना विशेष्वर खेडा लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 07.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"